न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प सागर(म0प्र0)

निगरानी प्र0 क्रमांक : निग/3045/II/15

1) रम्मू पिता परम अहिरवार
2) श्रीमति प्रेमरानी पति रम्मू अहिरवार = = निगरानीकर्तागण
सभी निवासी ग्राम अगरा, तह. व जिला सागर(म.प्र.)

B.O.R.
10 AUG 2015

।। विरूद्ध ।।

= = उत्तरवादीगण

म.प्र. शासन

निगरानी/पुनरीक्षण अंतर्गत धारा-50 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता:-

निगरानीकर्तागण/आवेदकगणों की ओर से निम्न प्रार्थना है:-

1) यह कि, उक्त निगरानी/पुनरीक्षण निगरानीकर्तागण द्वारा मान0अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर सागर जिला सागर के प्रकरण क्रं. 126 अ/2।वर्ष 2014-15 आदेश दिनांक 07/07/2015 से दुखित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रहीं हैं ।

2) यह कि, आवेदकगण/निगरानीकर्तागण ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर सागर के यहां इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि उन्हें म.प्र. शासन द्वारा जो पट्टा मौजा अगरा ख.नं. 64/4 रकबा 0.62 हे0 भूमि का प्राप्त हुआ था उपरोक्त पट्टे से प्राप्त भूमि पथरीली, असिंचि है कृषियोग्य नहीं है । निगरानीकर्तागणों को अपनी पुत्र की पुत्री अर्थात प्रेत्री को शादी करना है व निगरानीकर्तागणों की उम्र क्रमशा 60 एवं 58 वर्ष है जो कि वृद्ध हो चके हैं । उपरोक्त दर्शित भूमि पथरीली है जिस का उसे खरीददार प्रदीप यादव वल्द प्रेमनारायण यादव को इकरारनामा अनुसार विक्रय करना चाहते है अनुमति प्रदान की जावें ।

3) यह कि, उपरोक्त आवेदन स्वीकार कर मान. कलेक्टर महोदय न्यायालय सागर द्वारा क्षेत्राधिकार, तहसीलदार महोदय को जाँच हेतु भिजवाया गया जहां तहसीलदार महोदय सागर से उपरोक्त आवेदन को प्रकरण क्रमांक 294 बी/21 वर्ष 2013 मान. न्यायालय अनुविभागीय अधिक महोदय सागर के माध्यम से प्राप्त प्रकरण दर्ज कर संबंधित हल्का पटवारी

228
25-08-15

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3045–दो / 15 जिला –सागर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14.09.2015	आवेदकगण की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । उनके द्वारा प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये । तथा यह भी निवेदन किया हे कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख की सत्यप्रतिलिपि संलग्न की गई है । अतः प्रकरण गुण दोष पर सुन लिया जावे । अनावेदक शासन के पैनल अधिवक्ता श्री त्यागी को कोई आपत्ति नहीं है । उभय पक्ष के अभिभाषकगण के तर्क श्रवण किये गये , तथा उनका निवेदन स्वीकार किया जाता है । 2– यह निगरानी कलेक्टर जिला सागर के प्रकरण कमांक 126 / अ–21 / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 07.07.2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 3– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदकगण ने कलेक्टर सागर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम अगरा स्थित भूमि सर्वे कमांक	

64/4 रकबा 0.62 हैक्टेयर उनके स्वत्व एवं स्वामित्व पर दर्ज है किंतु भूमि पथरीली एवं असिंचित होने से उपजाउ नहीं है । उन्हें पुत्री के विवाह हेतु धन की आवश्यकता है इसलिये भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान की जावे । कलेक्टर सागर ने प्रकरण कमांक 126 / अ–21/14–15उ पंजीबद्ध किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों की जांच अपर तहसीलदार सागर से कराई । अपर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी सागर की ओर से प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत आवेदक की सुनवाई कर आदेश दिनांक 07.07.2015 पारित किया एवं आवेदकगण का विक्रय की अनुमति आवेदन निरस्त कर दिया । इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की है ।

4– निगरानी मेमों में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेखों के सत्यप्रतिलिपियों का अवलोकन किया

5– उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख से प्रकरण में यह विनिश्चय करना है कि क्या आवेदकगण को भूमि विक्रय की अनुमति दी जा सकती है अथवा नही ? म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165

प्र0क0 निग0 3045–दो/15

(7–ख) प्रतिबंधित करती है कि कोई भी शासकीय पटट्ेदार अथवा भूमि स्वामी बिना सक्षम अनुमति के भूमि का विक्रय नहीं करेगा और इसी प्रतिबंध के कारण आवेदकगण ने कलेक्टर से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है । आवेदकगण ने भूमि विक्रय करने का अनुबंध शासकीय गाइड लाइन के मान से निर्धारित दर पर प्रदीप पुत्र प्रेमनारायण यादव निवासी सागर के साथ किया है । जो शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाइन के मान से विक्रय मूल्य देने को तैयार हैं किन्तु कलेक्टर सागर ने इस पर विचार नहीं किया है ।

6– कलेक्टर सागर ने आवेदकगण के आवेदन की जांच अपर तहसीलदार सागर से कराई है । तहसीलदार सागर के जांच प्रतिवेदन दिनांक 14.3.13 के अनुसार आवेदक रम्पू 60 वर्षीय है एवं बृद्ध होकर कमजोर है उसके पास ग्राम अगरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 64/4 रकवा 0.62 हैक्टेयर के अतिरिक्त अन्य भूमि मौजा चौका में 0.80 हैक्टेयर है । ग्रम अगरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 64/4 रकवा 0.62 हैक्टेयर का पटट्ा उसे नायव तहसीलदार सागर के प्रकरण कमांक 4/अ–19/97–98 से प्राप्त हुआ है अर्थात पटट्ा 17 वर्ष पुराना है । अपर

प्र0क0 निगरानी 3045–दो/15

तहसीलदार के प्रतिवेदन अनुसार मौके पर भूमि असिंचित है एवं मौके पर खेती हो रही है एवं भूमि पथरीली होकर अधिक पैदावार नहीं देती है । आवेदक को बच्ची के बिवाह के लिये रूपयों की आवश्यकता है विचार योग्य बिन्दू है कि क्या आवेदक का पटट्ा 17 वर्ष पुराना होने से वह भूमि विक्रय कर सकता है एवं उसे विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है ? म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7–ख) कृषक पर दायित्व श्रृजित करती है कि कोई भी भूमि सरकारी पटट्ेदार के रूप में दखल में रखने का अधिकार राज्य सरकार या कलेक्टर द्वारा दिया जाता है और जो तत्पश्चात् ऐसी भूमि का भूमिस्वामी बन जाता है ऐसी भूमि का अंतरण कलेक्टर की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी की अनुज्ञा जो लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से दी जायेगी के बिना नहीं करेगा । पटट्ा 17 वर्ष पुराना है एवं सतत् खेती करते रहने तथा पटट्े की शर्तो का पालन करने के कारण आवेदकगण 10 वर्ष के भीतर ग्राम अगरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 64/4 रकवा 0.62 हैक्टेयर के भूमि स्वामी बन चुके हैं एवं सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद वह भूमि विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है

प्र0क0 निग0 3045–दो / 15

आवेदक के पास ग्राम अगरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 64 / 4 रकवा 0.62 हैक्टेयर के अतिरिक्त मौजा चौका में 0.80 हैक्टेयर है अर्थात उक्तांकित भूमि विकय करने के बाद वह भूमि हीन भी नहीं होगा , एवं उसके पास जीविकोपार्जन का साधन है । स्पष्ट है कि आवेदकगण की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें भूमि विकय करने की अनुमति देने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं है ।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर, जिला सागर के प्रकरण कमांक 126 / अ–21 / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 07.07.2015 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदकगण को ग्राम अगरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 64 / 4 रकवा 0.62 हैक्टेयर के विकय की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उप पंजीयक इस भूमि का विकय विलेख प्रस्तुत होने पर शासन द्वारा निर्धारित गाइड लाइन से विकेताओं को विकय मूल्य प्राप्त होने की पुष्टि कर विकय–लेख संपादित करेंगे ।

(एम0पी0 सिंह)
सदस्य